



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2019/भाद्र 22, 1941

No. 532]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2019/BHADRA 22, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2019

सं. 65/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 654(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (अ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 जिसे सा.का.नि. 193(अ), 02 अप्रैल, 1997 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, हरियाणा राज्य से संबंधित क्रम सं. 5 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ix) के बाद और इससे संबंधित कॉलम (3) और (4) की प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)
(ix) गाँव बरही, गन्नौर, जिला सोनीपत	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई

[फा. सं. 434/20/2017-कस्टम-IV]

जुवेर रियाज़, निदेशक (सीमाशुल्क)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 को सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 58/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 08 अगस्त, 2019, सा.का.नि. 622(अ.), दिनांक 08 अगस्त, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2019

No. 65/2019-Customs (N.T.)

G.S.R. 654(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-CUSTOMS (N.T.), dated the 2nd April, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 5 relating to the State of Haryana, after item (ix) in column (3) and the entries relating thereto in columns (3) and (4), the following shall be inserted, namely:—

(3)	(4)
“(x) Village Barhi, Gannaur, District Sonapat.	Unloading of imported goods and loading of export goods”.

[F. No. 434/20/2017-Cus- IV]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)

Note : The principal notification No. 12/97-CUSTOMS (N.T.), dated the 2nd April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997 and last amended by notification No.58/2019-CUSTOMS (N.T.), dated the 8th August, 2019 vide number G.S.R. 622(E), dated the 8th August, 2019